

निर्देश नं. इज/जास/प्रकाश/संयुक्त/सि.आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर  
 संख्या संख्या 200 / 2024 (अनु. 14 सि.आई.ए.एस.)  
 संयुक्त कार्यालय सि. आई. ए. एस. हाईवेज कार्यालय (सि.) परीक्षित कार्यालय 201-202 फ्लोर  
 साथम एच. एस.डी. सावधानीपूर्वक इन्फार्मेशन एरिया, जयपुर।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. श्री रणजीत पहाडिया पुत्र श्री लक्ष्मण लाल पहाडिया,  
 पता - 628, मण्डी खटीकान, चार दरवाजा के बाहर, पहाडियों का चौक, त्रिपोलिया बाजार, जयपुर  
 एवं सर्वे संख्या 248, पट्टा नं. 4709, स्कीम मण्डी खटीकान, कच्ची बस्ती चार दरवाजा, जयपुर।
2. श्री अजय पहाडिया पुत्र श्री रणजीत सिंह पहाडिया,
3. श्रीमती नीला देवी पत्नी श्री रणजीत सिंह पहाडिया,  
 पता - मण्डी खटीकान, जयपुर।

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर



The application under section 14 of The Securitisation and  
 Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security  
 Interest Act, 2002.

उद्दिष्ट - श्री गणेशदेव देवीदास, अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश

दिनांक: 20.08.2024

1. अधिसूचना नं. प्रकाश/संयुक्त/सि.आई.ए.एस. के अन्तर्गत इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक  
 08.06.2024 को दूनभूरीकरण हेतु उमानास प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्री रणजीत पहाडिया के  
 स्वामित्व की संकीर्ण सर्वे संख्या 248, पट्टा नं. 4709, स्कीम मण्डी खटीकान, कच्ची बस्ती चार  
 दरवाजा, जयपुर, क्षेत्रफल 108.18 वर्गगज को बन्धक रख कर कुल राशि 08,86,000/- रुपये की  
 ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान  
 करने में अक्षम रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 08.06.  
 2024 को रीजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि पर  
 बकाया भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The application under section 14 of The  
 Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security  
 Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का  
 नैतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्जे रीजिस्टर किया गया। वित्तीय बैंक के सूर्योप्य अधिवक्ता को गौर से  
 सूचना प्राप्त। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।

34  
 जिला मजिस्ट्रेट  
 (कलक्टर) जयपुर

3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगणों को कुल राशि 06,86,000/- रुपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिगृति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास बन्धक रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल 07,19,881/- रुपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 06.06.2024 को अधिनियम की धारा 13(2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का प्रार्थी वित्तीय संस्था को कोई जबाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रुपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है।
4. अतः The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी श्री रणजीत पहाड़िया के स्वामित्व की बंधक संपत्ति सर्वे संख्या 248, पट्टा नं. 4709, स्कीम मण्डी खटीकान, कच्ची बस्ती चार दरवाजा, जयपुर, क्षेत्रफल 108.16 वर्गगज का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
5. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें। आदेश की प्रति हस्त कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।



आज दिनांक 20.08.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)  
जिला मजिस्ट्रेट  
(कलक्टर) जयपुर